-	न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा
24.11.2022	भूमि सत्यापन अभिलेख संo3
<u>01.12.2022</u> 1. 2. 3. 4.	अभिलेख उपस्थापित। आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है। हत्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया, ग्या के कि मौजा-भण्डरवा, थाना नं0-254, खाता सं0-17, प्लॉट सं0- 682, रकवा-04 डी0 भूँमि, मुकदमा सं0-2832/2019-20 के द्वारा सरफुद्वीन के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं0-42 भाग सं0-21 पर जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान पर जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2020-21 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं0-05 दिनांक-15.11.2022 (नोटिस पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा-भण्डरवा, थाना नं0-254, खाता सं0-17, प्लॉट सं0- 682, रकवा-04 डी0 भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-भण्डरवा, थाना नं0-254, खाता सं0-17, प्लॉट सं0- 682, रकवा-04 डी0 भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्गय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।
్.	